सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

# राजस्थान सरकार
## सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई टी भवन, योजना भवन परिसर, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

F3(72)DOC/Actt/Part VI/19/04594/2019 Dated: 16.10.2019

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गण
सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग,
मुख्यालय, जयपुर।

विषयः वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आयकर गणना के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत आप सभी वर्ष **2019–20** के अंतर्गत वेतन भत्तों से संभावित आय का समस्त विवरण, निर्धारित फार्म भुगतान शाखा से प्राप्त कर, आयकर संबंधी गणना, दिये गये प्रपत्र मय दस्तावेज में भुगतान शाखा को दिनांक 31.10.2019 तक प्रस्तुत करावे। चाही गई सूचनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. आगामी माहों में की जाने वाली आयकर कटौती तथा सही पेन नं. अंकित करावें।
2. आगामी माहों में जी.पी.एफ. की कटौती में वृद्धि या कमी (यदि कोई हो)
3. अन्य बचत, समायोजन एवं आवास ऋण एवं ब्याज, मेडीकलेम इत्यादि का विवरण मय राशि रसीद के साथ।
4. व्यक्तिगत स्त्रोतो से एवंम अन्य आय यदि कोई हो तो राशि अंकित करावे।
5. मकान किराया भत्ता की छूट हेतु किराया चुकता की मासिक रसीद मय राशि एवं किराया प्राप्त करने वाले के पैन न. सहित।
6. पै–मेनेजर से जी.ए.55/वेतन विवरण पत्र प्राप्त कर निर्धारित आयकर गणना पत्र की पूर्ति कर भुगतान शाखा को अविलम्ब भिजवायें।

उक्त चाही गई समस्त सूचनायें, आयकर गणना प्रपत्र 2019–20 की पूर्ति कर एवं फार्म 12 बीबी दिनांक 31-10-2019 तक भुगतान शाखा में आवश्यक रूप से प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें, ताकि अनावश्यक अधिक आयकर नही काटा जावे एवं आयकर की सही गणना करके नियमानुसार आयकर की कटौती आगामी वेतन माह से की जाकर आयकर रिटर्न आयकर विभाग को समयबद्ध प्रस्तुत करवायी जा सके। साथ ही सभी अधिकारी/कर्मचारी सूचित रहे कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह मार्च 2019 में अपनी सेविंग्स दर्शाये जाने पर अधिक काटे गये आयकर के लिए आप सभी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

अतिरिक्त निदेशक
अतिरिक्त निदेशक एवं आहरण
निदेशालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
वितरण अधिकारी
कोड नं. 1883

प्रतिलिपिः– प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

अतिरिक्त निदेशक
अतिरिक्त निदेशक एवं आहरण
आहरण वितरण अधिकारी
निदेशालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
वितरण अधिकारी
राज., जयपुर
कोड नं. 1883

D:\Gaurav\Letters